इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011—कार्तिक 20, शक 1933

आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-14-2010-एफ-उनसठ.—स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2010

संशोधन 2011

राज्य शासन एतद्द्वारा स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. वर्तमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:—

''14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति किसी स्वशासी संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो अनुसूची चार के कालम (4) में विहित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता तथा अनुभव धारित करते हों.

(2) इन नियमों के अंतर्गत किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त सेवा के सदस्य को उसी स्वशासी संस्था में पदोन्नति की पात्रता होगी.

(3) किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है.

(4) सेवा में पदोन्नति के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

2. अनुसूची-चार में कालम (4) के शीर्षक में वर्तमान वाक्यांश के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाये:—

"कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतायें तथा अनुभव".

3. अनुसूची-चार में "अ-आयुर्वेद महाविद्यालय" के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 तथा 3 के समक्ष कालम नं. (4) में वर्तमान वाक्यांश के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाये:—

"भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव".

4. अनुसूची-चार में "ब-होम्योपैथी महाविद्यालय" के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 तथा 3 में—

(1) कालम (4) के समक्ष वर्तमान वाक्यांश के स्थान पर "केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) कालम (5) के समक्ष वर्तमान वाक्यांश के स्थान पर "तदैव" प्रतिस्थापित किया जाये.

5. अनुसूची-चार में "स-यूनानी महाविद्यालय" के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 तथा 3 में—

(1) कालम (4) के समक्ष वर्तमान वाक्यांश के स्थान पर "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) कालम (5) के समक्ष वर्तमान वाक्यांश के स्थान पर "तदैव" प्रतिस्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011